सफाई को लेकर नगर निगम सख्त, 151 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नोटिस

नियत स्थल पर ही फेंकें कूड़ा

पटना | वरीय संवाददाता

पटना नगर निगम अब शहर की साफ-सफाई को लेकर सख्त कदम उठाएगा। सार्वजनिक स्थलों, सड़क के किनारे या जहां-तहां कूड़ा-कचरा फेंकने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इसी क्रम में निगम की ओर से 151 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नोटिस भेजी गई है। इसमें होटल, अपार्टमेंट, रेस्तरां, दुकान, मेगामार्ट, कमर्शियल काम्प्लेक्स, अस्पताल व नर्सिंग होम शामिल हैं।

नोटिस के तहत सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को तत्काल अपनी दुकान, अपार्टमेंट, होटल, नर्सिंग होम व अस्पतालों के आगे से जमा कूड़ा-कचरा हटाने को कहा गया है। नोटिस के बाद भी संबंधित प्रतिष्ठानों द्वारा कूड़ा साफ करने की कार्रवाई नहीं की गई तो हफ्तेभर बाद कड़ी कार्यवाही की जाएगी। निगम प्रशासन आम लोगों को साफ-सफाई को लेकर जागरूक करने के मकसद से जल्द जागरूकता अभियान भी शुरू करेगा।

पटना नगर निगम के नगर आयुक्त पंकज कुमार पाल ने शनिवार को संवाददाताओं से बातचीत करते हुए इस आशय की जानकारी दी। उनके मुताबिक निगम प्रशासन की ओर से शहर को साफ-सुथरा रखने व जलजमाव दूर करने के लिए सीमित संसाधनों के बावजूद बेहतर प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आम लोगों का सहयोग मिल जाए तो शहर और भी खूबसूरत हो जाएगा। आम लोगों को जागरूक करने के लिए स्कूल, कालेज व निजी संगठनों के सहयोग से अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत रैली निकाली जाएगी।

नगर आयुक्त ने आम लोगों से निगम के निर्धारित कूड़ा केन्द्रों पर निर्धारित समय तक ही कूड़ा फेंकने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कई लोग निर्धारित कूड़ा स्थल के आसपास कूड़ा फेंक देते हैं इससे भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। निगमायुक्त के मुताबिक कई खटाल मालिकों के खिलाफ मुकदमा किया गया है। इसके पहले अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के तहत खटाल हटाए गए थे लेकिन उससे समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। कुछ दिन बाद लोग फिर खटाल लगा लेते हैं। इसलिए अब सार्वजनिक स्थल पर खटाल लगाने वालों के खिलाफ मुकदमा किया जा रहा है।

चलेगा जागरूकता अभियान

- घर, दुकान व प्रतिष्ठानों का कचरा निर्धारित समय व नियत कूड़ा स्थल पर फेंकें
- बिना आम जन के सहयोग के शहर साफ-सुंदर नहीं हो सकता

नगर आयुक्त की अपील

आम लोग क्या करें

● घर, दुकान या अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान में रखें एक कूड़ादान(डस्टबिन) ● इसी कूड़ेदान में ही घर, दुकान या प्रतिष्ठान का कचरा फेंकें ● निर्धारित कूड़ा केन्द्र पर ही फेंकें अपने घर-दुकान,प्रतिष्ठान का कचरा, ● कूड़ा केन्द्र पर सुबह 6 से 9 बजे तक व रात में 8 से 10 बजे तक ही कूड़ा फेंकें ● ठेला वाले, सब्जीवाले, होटलवाले अपनी दुकान या प्रतिष्ठान में रखें बंद कूड़ादान ● भवन निर्माण के दौरान निकलने वाले मलबे निगम के रामाचक बैरिया डंपिंग यार्ड में फेंकें ● बाजार से सामान लाने के लिए जूट, गत्ते या कपड़े के थैले का इस्तेमाल करें

क्या नही करें

● घर के इधर-उधर सार्वजनिक स्थल या सड़क पर कूड़ा नही फेंकें ● निगम के कूड़ा केन्द्र के अगल-बगल में कूड़ा नहीं डाले ● पॉलीथिन या कूड़ा-कचरा नालों, मैनहोल या कैचपिट में नही डालें ● भवन निर्माण के दौरान निकलनेवाले मलबे को सड़क किनारे, सार्वजनिक स्थल या निगम के निर्धारित कूड़ा केन्द्रों पर नही फेंकें ● पॉलीथिन का इस्तेमाल नही करें ● सब्जी या खाद्य सामग्री पॉलीथिन बैग में नहीं लें

jetscreenshot.com